

प्रेषक,

वीरेन्द्र पाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय,
हरिद्वार।

संस्कृत शिक्षा अनुभाग

देहरादून: दिनांक 11 ^{अक्टूबर} सितम्बर, 2019

विषय-वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार हेतु प्राविधानित बजट के सापेक्ष धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार के पत्र संख्या-537/लेखा/2019-20 दिनांक 27.08.2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय के अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2202-03-102-06-संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना के मानक मद 43-वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान मद में प्राविधानित धनराशि रूपये 60000.00 हजार के सापेक्ष धनराशि रूपये 30000.00 हजार (रूपये तीन करोड़ मात्र) को संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-254/03(150)-2017/XXVII(1)/2019 दिनांक 29.03.2019 में दिये गये शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त मद की धनराशि का व्यय वित्त विभाग के उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 29.03.2019 में दिये गये निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा एवं इस सम्बन्ध में वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुवेल एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों का अनुपालन भी कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए वह स्वीकृत है। अन्य मदों में कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

4. उक्त मद से धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व वित्तीय वर्ष 2018-19 में सम्बन्धित मद में अवशेष धनराशि के सम्पूर्ण व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

5. उक्त धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व सर्वप्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय की वित्त समिति एवं तदपश्चात कार्यपरिषद् का नियमानुसार अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

6. इस शासनादेश के संलग्नक को कम्प्यूटर आई0डी0 से जनरेट किया गया है, जिनकी अलोटमेंट आई0डी0 संख्या-H19090110398 दिनांक 30 सितम्बर, 2019 है।

7. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-254/03(150)-2017/XXVII(1)/2019 दिनांक 29.03.2019 में निहित प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,


(वीरेन्द्र पाल सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या- १४० (1)/XLII-1/2019-06(03)2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. निदेशक, उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा विभाग, देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी, हरिद्वार।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार।
5. वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन।
- ✓ 7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(अरुण कुमार)
अनु सचिव।



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - (2019 - 2020)
HOD-Director Sanskrit Education(4624)
Treasury-Haridwar(6500)
DDO-District Education Officer Haridwar(4506)

आवंटन पत्र संख्या -
आवंटन संख्या-011

आवंटन आई डी-H19090110398
आवंटन पत्र दिनांक-30-SEP-2019

शीर्षक: 2202-सामान्य शिक्षा 03-University and Higher Education
102-विश्वविद्यालयों की सहायता 06-संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना
00-संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना

Voted

1	2	0	2	0	3	1	0	2	0	6	0	0
मानक मद का नाम	पूर्व में जारी		वर्तमान में जारी		अब तक का शेष		योग					
मान्य भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान	0		30000000		0		30000000					
योग	0		30000000		0		30000000					

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.3,00,00,000 (Rupees Three Crores Only)

PH ID : DIS:4624:4624:1909:0003
Operal Status : OPERATOR-CREATION

से,

कुमार)
धेव।